

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय  
Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research  
सतर्कता अनुभागVigilance Section

1-10-153-156,  
एएमडी कॉम्प्लेक्स,AMD Complex,  
बेगमपेट Begumpet,  
हैदराबाद Hyderabad-500 016.

सं.No.पखनिAMD/एआईपीआरAIPR/2018/स.Vig. 1563

नवंबर December 9, 2018.

**परिपत्र CIRCULAR**

सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 (1) (ii) के अनुसार, समूह-ए, बी एवं सी सेवाओं के सभी सरकारी कर्मचारी लीज या बंधक पर या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर धारित विरासतमें/ उसके स्वामित्व / अधिग्रहण /प्राप्त अचल संपत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

In accordance with Rule 18 (1) (ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964, all government servants belonging to Group-A,B&C services shall submit an annual property return in the prescribed form giving full particulars regarding the immovable property inherited/owned/acquired/ held by him/her on lease or mortgage either in his/her own name or in the name of any member of his/her family.

तदनुसार, एएमडी मुख्यालयों सहित एएमडी के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी ग्रुप ए, बी एवं सी अधिकारी [राजपत्रित और गैर-राजपत्रित] से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2018 के लिए वांछित जानकारी प्रस्तुत करें। Accordingly, all Group A, B & C Officers [Gazetted and Non-Gazetted] working in AMD Headquarters as well as Regions of AMD are requested to furnish the desired information for the year 2018 in the prescribed format (copy enclosed).

प्रपत्र एमएसवर्ड हाइपर लिंक में "एएमडी वेबसाइट की सामान्य जानकारी साइट पर रखा गया है । कृपया इसे वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उपयोग करें ।


The format in MS word is placed in the hyperlink "General Information of AMD Website" which may please be utilized for submitting the return.

इसके अलावा, जो कर्मचारी 31 जनवरी, 2019 तक वर्ष-2018 संबंधी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न जमा नहीं करते हैं उनके पदोन्नति हेतु सतर्कता मंजूरी/अन्यसंगठनों में पदों के लिए आवेदनों के अग्रोषण/ विदेशों में निजीयात्रा/पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना/प्रिस के भुगतान आदि नहीं किए जाएंगे ।

Further, vigilance clearance for promotions/forwarding of applications for posts in other organizations/issue of NOC for passport/private visit abroad/payment of PRIS etc., shall be denied to the employee who fails to submit the Annual Immovable Property Return for 2018 by 31<sup>st</sup> January, 2019.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि दिनांक 31.12.2018 के बाद किन्तु दिनांक 31.01.2019 को या उससे पहले कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न सतर्कता अनुभाग, एएमडी, हैदराबाद को अग्रोषित करें ।

In view of the above, it is requested to forward the Annual Immovable Property Return, for the Calendar Year 2018 to Vigilance Section, AMD, Hyderabad, on or after 31.12.2018 but before 31.01.2019.

  
(एन अंजनी कुमार N. Anjani Kumar)  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी  
Chief Administrative & Accounts Officer